फोन / फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com
कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

5 / 1,

पत्रांक 5122 / 12-1 देहरादून, दिनांक 22-6-2021

सेवा में,

उप निदेशक,
गोविन्द वन्यजीव विहार
एंव राष्ट्रीय पार्क, पुरोला,
उत्तरकाशी।

विषयः– **जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांखरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/HYD/22889/2016)**

सन्दर्भ :– आपका ई0डी0एस0 पत्र – 1816 / 12–1, दिनांक 10–06–2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र जो अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु आनलाईन प्रेषित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0 8बी / यू.सी.पी. / 01 / 146 / 2018 / एफ.सी. / 174 दिनांक 31–05–2021 में दो बिन्दुओं पर इंगित आनलाईन आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा दिनांक 03–06–2021 को आनलाईन आपको प्रेषित किया गया आपके द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र में भारत सरकार द्वारा चाही गयी दो बिन्दुओं के निराकरण में उल्लेख किया गया है कि **"इस कार्यालय से सम्बन्धित है।"** जो कि भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना / इंगित आनलाईन आपत्तियों के निराकरण के अनुरूप नहीं है, तथा आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र से प्रेषित की गयी सूचना / आख्या इस स्तर से उच्चस्तर को प्रेषित की जानी सम्भव नहीं है।

कृपया उक्त प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 31–05–2021 में इंगित आनलाईन आपत्तियों का भलीभॉति अवलोकन करने के उपरान्त इंगित आनलाईन आपत्तियों का समुचित निराकरण करते हुए वांछित सूचना /अभिलेखों की हार्ड प्रति मय आनलाईन के इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

**(डी0के0सिह)**
**निदेशक / वन संरक्षक,**
**राजाजी टाइगर रिजर्व,**
**देहरादून, उत्तराखण्ड़।**

**पत्रांक 5122 / दिनांकित।**

प्रतिलिपि– उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को भारत सरकार के पत्र दिनांक 31–05–2021के कम में।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0 8बी / यू.सी.पी. / 01 / 146 / 2018 / एफ.सी. / 174 दिनांक 31–05–2021 (प्रति संलग्न) इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र में इंगित बिन्दु संख्या–1 की आनलाईन आपत्ति का समुचित निराकरण करते हुए वांछित सूचना उचित माध्यम के प्रेषित करने का कष्ट करें।

3.
4.

संलग्न–उक्तानुसार।

**(डी0के0सिह)**
**निदेशक / वन संरक्षक,**
**राजाजी टाइगर रिजर्व,**
**देहरादून, उत्तराखण्ड़।**